8/6/18 पारिवारिक कौंसिल कोर्ट में पेश हुये। दोनों पक्षों को
पुन: कौंसलिंग बाद स्वयं की स्वेच्छा से पाबन्द किया
जाता है कि विवाहित जीवन में मेलजोल व सुखपूर्वक
निवास की व्यवस्थायें बनाये रखें। पारिवारिक कौंसिल
मुताबिक होकर नतीजा से काम ले तथा आगे कार्यवाही
नियमानुसार बाद हो। [illegible]